राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.
क्र. सं.	**अपील संख्या**	**अपीलार्थीगण का नाम**	**प्रत्यर्थी विभाग**	**आलोच्य आदेश दिनांक एवं अनुलग्नक**
1.	2008 / 2022	महेन्द्र कुमार सैनी	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय जयपुर। 5. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलान्दरपुर, शाहपुरा, जयपुर।	
2.	2076 / 2022	मोहम्मद तकूबर बेग	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय भीलवाडा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्राह्मणों की सरेरी, आसीन्द, भीलवाडा।	
3.	2077 / 2022	हसन बेग	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय भीलवाडा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिलोली (सांगवा), भीलवाडा।	
4.	2078 / 2022	धीरेन्द्र कुमार खैराडा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय भीलवाडा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिदडियास, पंचायत समिति सुवाणा, भीलवाडा।	
5.	2079 / 2022	राजेश कुमार कांकरिया	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय भीलवाडा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरजिया, सुवाणा, भीलवाडा।	
6.	2475 / 2022	मंगल सिंह जाखड़	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक,	20.07.2022 (अनुलग्नक–1)

			मुख्यालय जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, मूण्डौती (सांभरलेक), जयपुर।	
7.	2915/2022	सीता राम नायक	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय नागौर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बूटाटी जिला नागौर। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।	01.08.2022 (अनुलग्नक–1)
8.	2970/2022	मोहन लाल शर्मा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर।	09.02.2018 (अनुलग्नक–1)
9.	3130/2022	शंकर लाल	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय श्रीगंगानगर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।	21.08.2019 27.12.2019 (अनुलग्नक–1)

आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 2008/2022 महेन्द्र कुमार सैनी की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपोलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर जुलाई 1992 में हुई थी। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। उक्त आदेशों की पालना मे अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित करते हुए पदस्थापित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्था को आदेश दिनांक 28.02.2003 (अनुलग्नक–4) द्वारा दिनांक 01.07.2002 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। तत्पश्चात आदेश दिनांक 20.01.2011 (अनुलग्नक–5) द्वारा दिनांक 01.07.2010 से द्वितीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 3600 दी गई। राजस्थान सिविल सेवा पुनरोक्षित वेतनमान नियम 2008 के तहत अपीलार्थी का दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800/– में फिक्स करते हुए रनिंग पे बैण्ड 9300–34800 में फिक्स किया गया (अनुलग्नक–6), जिसका उल्लेख सर्विस बुक में मौजूद है। अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2019 से देय है। अपीलार्थी ने दिनांक 24.12.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अन्य कार्मिकों की भांति 27 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे 5400/– में फिक्सेशन किये जाने का निवेदन किया, परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी, उस समय प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय की वेतन श्रृंखला समान थी, इसलिए अपीलार्थी को नौ वर्षीय चयनित वेतनमान अपीलार्थी की योग्यता रखने के कारण वरिष्ठ अध्यापक के पद की वेतन श्रृंखला 5000–8000 में फिक्स किया गया तथा अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4800/– में फिक्स किया गया। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 जो 01.01.2006 से प्रभावी है, उक्त नियमों में प्रथम नियुक्ति पद से वेतन की गणना करते हुए कर्मचारी के वेतन को रिवाईज करने के निर्देश दिये गये। जबकि अपीलार्थी का पूर्व में जारी फिक्सेशन आदेश राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया गया था। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–3 के कार्यालय ने अवैध व अनुचित तरीके से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के आवेदन को निरस्त किया है तथा अपीलार्थी को ग्रेड पे 4800/– के स्थान पर 4200/– में परिवर्तित कर वसूली के आदेश जारी करना चाह रहे है। वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 में प्रथम बार प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय में अन्तर किया गया। अध्यापक ग्रेड तृतीय को एन्ट्री पे स्केल नं0 9ए जोडते हुए वेतन श्रृंखला 4500–7000 दी गई, अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत था। नियमानुसार अपीलार्थी को भी आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी की एन्ट्री पे स्केल 4500–7000 मानते हुये अपीलार्थी का जो पूर्व में फिक्सेशन सही

किया गया था तथा आलोच्य आदेश में मनमाने ढंग से गलत रूप से व्याख्या करते हुये नॉन एप्लीकेशन माइण्ड से प्रयोगशाला सहायक की वेतन श्रृंखला दी गई है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान दिनांक 03.07.2009 को अवैध मानते हुए नियमानुसार प्रयोगशाला सहायक को भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के समान एन्ट्री पे स्केल 4500–7000 में वेतन निर्धारण करते हुये फिक्सेशन किया जाना चाहिये। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। प्रत्यर्थी विभाग ने अन्य कर्मचारियों को जो न्यायालय में गये है, उनको एन्ट्री पे स्केल 3600 मानते हुए 09, 18 व 27 वर्ष की सेवा क्रमशः 4200, 4800, 5400 ग्रेड पे में फिक्सेशन किया है। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर लाभ प्रदान नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को 09 वर्ष की सेवा पर 4200, 18 वर्ष की सेवा पर 4800 तथा 27 वर्ष की सेवा पर 5400 ग्रेड पे में फिक्सेशन करते हुए अपीलार्थी को 7वें वेतन आयोग का फिक्सेशन करते हुए समस्य एरियर का भुगतान मय पेंशन परिलाभ सहित 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी को दिलाया जावे तथा अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावे।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने सीधे ही बहस करते हुए अपील के आधारों का विरोध किया और कथन किया गया कि उक्त अध्यापकों को 9, 18, 27 वर्षीय ए.सी.पी. में प्रथम नियुक्ति पद प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 को पालना में अपीलार्थी को 18 वर्ष पर चयनित वेतनमान के रूप में ग्रेड–पे 4200 रुपये ही देय होकर अधिक भुगतान वसूली योग्य है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई। अपीलार्थी का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर आदेश दिनांक 16.10.1997 द्वारा किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनाक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम डायरेक्ट नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में ग्रेड पे 2400 रुपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड प स्वीकृत किया जाना

निर्धारित किया है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के अनुसार अपीलार्थी को 18 एवं 27 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200 एवं 4800 में वेतन देय है, जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक का संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 01.07.98 से प्रारम्भिक वेतनमान 4500–7000 निर्धारित किया गया। तृतीय श्रेणी अध्यापक की पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में 01.01.2006 से 30.06.2013 तक ग्रेड पे 2800 रुपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया, जिसको आदेश दिनांक 05.07.2013 से ग्रेड पे 3600 निर्धारित की गइ है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानों के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक को दिनांक 01.07.2013 से प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एसीपी पर क्रमशः ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 देय होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अपीलाथी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गंभीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

अपील के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई, जिसकी वेतन श्रृंखला अध्यापक तृतीय श्रेणी के समकक्ष थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. को ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी में समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील संख्या 2475/2022 मंगल सिंह जाखड़, 2915/2022 सीताराम नायक, 2970/2022 मोहन लाल शर्मा एवं 3130/2022 शंकर लाल को एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है और उक्त तालिका के क्रम संख्या–6 से 9 के सामने कॉलम संख्या–5 में अंकित आलोच्य आदेश को उक्त अपीलार्थीगण के संबंध में

अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (Withdraw) नहीं किए जाए।

अपील संख्या 2008/2022 महेन्द्र कुमार सैनी, 2076/2022 मोहम्मद तकूबर बेग, 2077/2022 हसन बेग, 2078/2022 धीरेन्द्र कुमार खैराडा एवं 2079/2022 राजेश कुमार कांकरिया की अपील के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय वेतनमान के अनुसार चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. का लाभ देकर नियमानुसार वेतन निर्धारण कर भुगतान की कार्यवाही की जाये। यह भी आदेश दिये जाते है कि उक्त निर्देशों की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2008/2022 में एवं आदेशों को प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल मे अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य